



पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.104/2024

RBE No.77/2024

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/2/2024 (Com.No.260300)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूरुमे/हाजीपुर।
3. DRM/पूरुमे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूरुमे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूरुमे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूरुमे/हाजीपुर।

विषय:-Notification.

संदर्भ:-Railway Board's letter No.-Notification G.S.R No.486, Dated-30.07.2024.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by

Manoj Kumar Choudhary

Date: 08-10-2024 13:22:22

(एम.के.चौधरी)

सकाधि/ई.एस.एम.

कृते महाप्रबंधक (का.)/पूरुमे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूरुमे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी. एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूरुमे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूरुमे/हाजीपुर-कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूरुमे/हाजीपुर।

आरबीई सं.- 77/2024

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 486 (अ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 55 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

“55. अशक्तता पेंशन – (1) रेल सेवक के दिव्यांग होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के खंड 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त खंड के उपबंधों द्वारा शासित होंगे:

परंतु यह कि ऐसा कर्मचारी एक दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(2) यदि कोई रेल सेवक, ऐसे मामले में, जहां उक्त अधिनियम के खंड 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, जो उसे सेवा के लिए स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे नियम 69 के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

परंतु यह कि रेल सेवक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है, के कारण दस वर्ष की अर्हक सेवा करने से पूर्व, सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियम 69 के उप-नियम (2) के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकेगी:-

- (क) उसकी रेल सेवा में नियुक्ति से पहले अथवा नियुक्ति के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे रेल सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो; और
- (ख) अशक्तता पेंशन दिए जाने वाले के लिए नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।

(3) जहां उप-नियम (2) में निर्दिष्ट, कोई रेल सेवक अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो उसे निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी से असमर्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-

(क) राजपत्रित रेल सेवक, और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिनका भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II (1987-संस्करण) के नियम 1303 में यथा-परिभाषित वेतन चौवन हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड द्वारा;

(ख) अन्य मामलों में किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्तर का चिकित्सा अधिकारी।

टिप्पण 1: जबतक कि आवेदक यह दर्शाते हुए एक पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसके कार्यालय या विभाग के प्रमुख को आवेदक के चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के आशय की जानकारी है तथा चिकित्सा प्राधिकारी को कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा आवेदक की आयु के बारे में आधिकारिक अभिलेखों से स्पष्ट होने वाला एक विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि आवेदक के लिए सेवा पुस्तिका का रखरखाव किया जा रहा है तो उसमें अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए।

टिप्पण 2 : जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो तो एक महिला डॉक्टर को भी चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र इन नियमों के साथ अनुबद्ध प्ररूप 21 में यथा-निर्दिष्ट होगा।

(5) जहां उप-नियम(3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम(2) में उल्लिखित किसी रेल सेवक को उसके द्वारा की जा रही सेवा से कम श्रम वाली आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया है तो ऐसे नियोजित होने की उसकी इच्छा के अध्यक्षीन, निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे नियम 69 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

3. उक्त नियमों में, नियम 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 69 के उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) नियम 55 के उप-नियम (2) के परंतुक के अध्यक्षीन, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के मामले में पेंशन की राशि की गणना वेतन के पचास प्रतिशत पर या औसत वेतन पर की जाएगी, इनमें से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, जो कि न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमाह और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह के अध्यक्षीन होगा।”

5. उक्त नियम में, नियम 75,-

(क) उप-नियम (4) में,-

(i) खंड (i) में, उप-खंड (क) में, “सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्”- शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, “सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्”- शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) कोई रेल सेवक, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी किए बिना हो गई हो, उसका परिवार उप-नियम (4) के अनुसार, 1 अक्टूबर,

2019 से बढ़ी हुई दरों पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगा, जो कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन होगा।”;

6. उक्त नियम के नियम 94 में, विद्यमान खंडों के लिए, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) कुटुंब पेंशन, 1964 के प्रयोजन के लिए, यदि मृतक रेल सेवक का परिवार नियम 75 के उप-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया है और कुटुंब पेंशन की राशि और अवधि जिसके लिए यह देय है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर नियम (75) के उप-नियम (4) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए,-

(i) यदि मृतक रेल सेवक द्वारा की गई पूरी सेवा सत्यापित और स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है, तो मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार की गई अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर नियम 70 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अनंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अनंतिम आधार पर लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।

(ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि कार्यालय प्रमुख द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा सेवा की पूरी अवधि की स्वीकृति और सत्यापन पर निर्धारित की जाएगी और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष राशि, यदि कोई हो, लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।”

7. “प्ररूप 16” के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 16”

[नियम 93(1), 95(1), 95(5) एवं 97(1) देखें]

किसी रेल कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के भुगतान का निर्धारण एवं प्राधिकृतीकरण

भाग-I

खंड I

1. मृतक का विवरण:

(क) नाम													
(ख) माता/पिता का नाम						(ग) जन्म तिथि							
(घ) मृत्यु की तारीख							(ङ) धर्म						

2. मृत्यु के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन	
(च) यदि अंतिम पद विदेश सेवा शर्तों पर सरकार के बाहर धारित किया गया था			
(छ) मूल विभाग में धारित पद का स्तर		(ज) मूल वेतन	
(झ) मिलिट्री सेवा की कुल अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए पेंशन एवं/या उपदान की मंजूरी दी गई थी			
(ञ) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की राशि		(ट) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति	
3. सेवा शुरू होने की तारीख		4. सेवा समाप्त होने की तारीख	

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा, यदि कोई हो

सेवा विवरण

(क) संस्था का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि
(घ) क्या सरकार द्वारा उपदान की गणना में उपरोक्त सेवा गण्य होगा				हां नहीं

(ड) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपनी पेंशन देयता का निर्वहन किया है		हां	नहीं
(च) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की राशि, यदि कोई हो		(छ) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि कोई हो	

6. मृत्यु उपदान के लिए अर्हता प्राप्त सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियों का विवरण जिन्हें अनदेखा किया गया है [नियम 79 (1) (ख) (ii) के अधीन]			
(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधि	से	तक	दिनों की संख्या
नियम 42 और 43 के अधीन माफ की गयी सेवा में अवरोध की अवधि			
उपदान के लिए गैर अर्हक असाधारण अवकाश			
गैर अर्हक निलंबन की अवधि			
बालक सेवा (नियम 20 का द्वितीय परंतुक)			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन के लाभान्वित है (नियम 46)			
अन्य कोई गैर अर्हक सेवा			
गैर अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा के लिए परिवर्धन:	से	तक	दिनों की संख्या
सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33)			
मिलिट्री सेवा (नियम 34)			
एक स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ			
अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(ड) सम्पन्न छमाही (तीन महीने एवं उससे अधिक की अवधि को सम्पन्न छमाही के रूप माना जाएगा) के रूप में अभिव्यक्त अर्हक सेवा			
7. मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां		8. मृत्यु उपदान की	

	राशि	
--	------	--

9. मृत्यु उपदान से वसूले जाने वाले सरकारी या रेलवे को देय राशि का विवरण:-

(क) सरकारी या रेलवे आवास के दखल के लिए लाइसेंस शुल्क	
(ख) संपदा निदेशालय/इंजीनियरींग विभाग द्वारा निर्देशानुसार रोकी जाने वाली राशि	
(ग) नियम 98 (2) में निर्दिष्ट बकाया राशि	
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में देय शुद्ध राशि	

10. नामांकित व्यक्ति (ओं) का विवरण जिन्हें मृत्यु उपदान देय है:

क्र. सं.	(क) नाम	(ख) जन्म तिथि (दिदि/मि/वववव)	(ग) मृत्यु उपदान में हिस्सा	(घ) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(ङ) पता
1.					
2.					
3.					

11. अभिभावक/नामांकित व्यक्ति का विवरण जो नाबालिग /मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में मृत्यु उपदान का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(घ) अभिभावक का पता

12. कुटुंब पेंशन के भुगतान का विवरण

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की राशि	वह अवधि जिसके लिए यह देय है			
		से	तक	कुल अवधि	
(क) बढ़ी हुई दर [नियम 75(4)]					
(ख) साधारण दर [नियम 75(2)]					
(ग) नियम 75(3क) के अधीन वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी, यदि कोई हो, को आज की तारीख के अनुसार अतिरिक्त परिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है।					

13. वे व्यक्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन देय है:

(क) नाम		(ख) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	
(ग) डाक का पता			
फ्लैट/मकान सं/भवन का नाम		सड़क/इलाका	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर और जिला	
राज्य		पिन कोड	
टेलीफोन नंबर/मोबाइल		ईमेल आईडी	

14. अभिभावक का विवरण जो नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में कुटुंब पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(घ) अभिभावक का पता

1.				
2.				
3.				
लेखा-शीर्ष, जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं				
स्थान:				
तारीख:				
(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)				

खंड II

नियम 96 के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित की जाने वाली अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान का विवरण

अनंतिम कुटुंब पेंशन	रुपये प्रति माह
मृत्यु उपदान [धारा I के मद 9 (घ) में उल्लिखित राशि]	 रुपये प्रति माह
स्थान :	
तारीख:	
(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)	

भाग II

खाता सम्मिलन

खंड I

मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की जाने वाली अर्हक सेवा की कुल अवधि										
कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकृत निरंतर सेवा की कुल अवधि										
सरकार और रेलवे की बकाया राशि के समायोजन के बाद मृत्यु उपदान की निवल राशि										
कुटुंब पेंशन की राशि (जो भी लागू हो)										
रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन	कुटुंब पेंशन की राशि									
बढ़ी हुई दर पर [नियम 75(4)]										
साधारण दर पर [नियम 75(2)]										
वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी, को आज की तारीख के अनुसार नियम 75(3क) के अंतर्गत अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई हो,										
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन स्वीकार्य है										
खाता प्रमुख जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं										

खंड II

मृतक रेलवे कर्मचारी का विवरण										
नाम					मृत्यु की तारीख					
अधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि					अधिकृत उपदान की राशि					
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख					उपदान से वसूली योग्य राशि					
खाता प्रमुख, जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं										
'नो डिमांड सर्टिफिकेट' की प्राप्ति लंबित होने तक रोकी गई उपदान की राशि										

स्थान:

तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

8. प्ररूप 20 के पश्चात्, प्ररूप 21 अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप 21”

[नियम 55(3) देखिये]

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्ररूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने में के पुत्र की सावधानीपूर्वक जांच की है। उसकी आयु उसके बयान के अनुसार..... वर्ष और अनुमानित तौर पर..... वर्ष हैं। मैं/(हम) को (यहां रोग या कारण बताएं) के परिणामस्वरूप उस विभाग, जिससे वे संबंधित हैं, में किसी भी प्रकार की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अयोग्य मानते हैं।

(यदि अक्षमता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है, तो प्रमाण पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित को जोड़ दिया जाना चाहिए)

मेरा/हमारा यह विचार है कि महीने के आराम करने के पश्चात पहले जो सेवा वह कर रहा था उससे कम परिश्रमी प्रकृति की सेवा करने योग्य है एवं आगे भी योग्य रहेगा।

स्थान

तारीख.....

चिकित्सा प्राधिकरण

स्पष्टीकरण ज्ञापन:

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (4क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे रेल कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का उपबंध है जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बगैर मर जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण-1: नियम 55 और नियम 75 में संशोधन क्रमशः 4 जनवरी, 2019 और 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी माने जाएंगे।

टिप्पण-2: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 346 (अ) तारीख 24 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

(फाईल सं. डी-5/2019-एफ(ई)III)

बन्दिना शर्मा

(बन्दिना शर्मा)

कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना),
रेलवे बोर्ड

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

G.S.R. 186(E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Second Amendment Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 55, the following rule shall be substituted, namely:-

“55. Invalid Pension.- (1) In the case of a railway servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) are applicable shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such employee shall submit a disability certificate which is issued from the competent authority as provided under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a railway servant, in a case where the provisions of section 20 of the said Act, are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 69:

Provided that a railway servant, who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service before completing qualifying service of ten years, may also be granted invalid pension in accordance with sub-rule (2) of rule 69, subject to the conditions that the railway servant,-

(a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the railway service and declared fit by such medical authority for railway service; and

(b) fulfills all other conditions mentioned in the rules for grant of invalid pension.

(3) Where a railway servant referred to in sub-rule (2), applies for an invalid pension, he shall be required to submit a medical certificate of incapacity from the following medical authority, namely:-

(a) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a Non-gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 of the Indian Railway Establishment Code Vol.II(1987-Edition), exceeds fifty-four thousand rupees per mensem;

(b) a Civil surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

Note 1: No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Head of his Office or Department is aware of the intention of the applicant to appear before the medical authority and the medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or the Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant, and if a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported.

Note 2: A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.

(4) The Medical Certificate to be granted by the medical authority shall be such as specified in Form 21 annexed to these rules.

(5) Where the medical authority referred to in sub-rule (3) has declared a railway servant mentioned in sub-rule (2) fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, subject to his willingness to be so employed, be employed on a lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted invalid pension under rule 69;”

3. In the said rules, rules 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 69, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Subject to the proviso to sub-rule (2) of rule 55, in the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per mensem and maximum of one lakh twenty five thousand rupees per mensem;”

5. In the said rules, in rule 75,-

(a) in sub-rule (4), -

(i) in clause (i), in sub-clause (a), the words “after having rendered not less than seven years’ continuous service” shall be omitted;

(ii) in clause (ii), in sub-clause (a), the words “after having rendered not less than seven years’ continuous service” shall be omitted.

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4A) A railway servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates, in accordance with sub-rule (4), with effect from the 1st day of October, 2019, subject to fulfillment of other conditions for grant of family pension ; ”

6. In the said rules, in rule 94, for the existing clauses the following clauses shall be substituted, namely:-

“(a) for the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased railway servant has become eligible for family pension in accordance with the sub-rule (2) of rule 75, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (4) of rule 75 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the railway servant.

(b) for the purpose of death gratuity,-

(i) if the entire service rendered by the deceased railway servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 70 on the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiary on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the railway servant.

(ii) the final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiary.”;

7. For “Form 16”, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form 16”

[See rules 93(1), 95(1), 95(5) and 97(1)]

Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies while in service

Part-I

Section I

1. Details of deceased:

(a) Name									
(b) Mother's/Father's name									
(c) Date of birth									
(d) Date of death									
(e) Religion									

2. Post held at the time of death:

(a) Name of the office			
(b) Post held substantively		(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix		(e) Basic pay	
(f) In case the last post was held outside the Government on foreign service terms-			
(i) Level of pay of the post held in the parent department		(ii) Basic pay	
(i) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned			
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service		(k) Nature of any pension/gratuity received for the military service	
3. Date of beginning of service		4. Date of ending of service	

5. Service in autonomous body/State Government, if any

Particulars of service

(a) Name of organisation	(b) post held	(c) Period of service		
		From	To	Total period
(d) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Government				Yes No
(e) Whether the autonomous organisation has discharged its pensionary liability to the Railways				Yes No
(f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		(g) Nature of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		

6. Service qualifying for death gratuity:

(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the service book which have been ignored [under rule 79 (1)(b)(ii)]			
(b) Periods of non-qualifying service:	From	To	No. of days
Interruption in service condoned under rules 42 and 43			
Extraordinary leave not qualifying for gratuity			
Period of suspension treated as non-qualifying			
Boy service (2 nd Proviso to Rule 20)			
Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (rule 46)			
Any other service not treated as qualifying service			
Total period of non-qualifying service			
(c) Additions to qualifying service:	From	To	Number of days
Civil (including railway) service (rule 33)			
Military service (rule 34)			
Benefit of service in an autonomous body			
Total period of qualifying service			
(d) Net qualifying service			
(e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period (rule 69))			
7. Emoluments reckoned for death gratuity		8. Amount of death gratuity	

9. Details of Government or railway dues recoverable out of death gratuity:-

(a) Licence fee for occupation of Government or railway accommodation	
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates/Engineering Department	
(c) Dues referred to in rule 98 (2)	
(d) Net amount payable as death gratuity	

10. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable:

S. No.	(a) Name	(b) Date of birth (DD/MM/YYYY)	(c) Share in death gratuity	(d) Relationship with deceased railway servant	(e) Address
1.					
2.					
3.					

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children

S.No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway servant	(d) Address of guardian

12. Details of payment of family pension

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable			
		From	To	Total period	
(a) Enhanced rate [rule 75(4)]					
(b) Ordinary rate [rule 75(2)]					
(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)					

13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name		(b) Relationship with the deceased railway servant	
(c) Postal address			
Flat/House Number/Building Name		Street/Locality	
Village and Post Office/Block		City and District	
State		Pin Code	
Telephone No./Mobile		Email-Id	

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/mentally disabled children

S. No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway Servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.				

Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable

Place:

Date:

(Signature of Head of office)

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 96

Provisional family pension	Rs.....pm
Death gratuity [amount mentioned in item 9(d) of Section I]	Rs.....

Place:

Date:

(Signature of Head of office)

Part II

Account Enfacement

Section I

Total period of qualifying service accepted for death gratuity		
Total period of continuous service accepted for family pension		
Net amount of death gratuity after adjusting Government and railway dues		
Amount of family pension (Whichever is applicable)		
Family pension under Railway Services (Pension) Rules, 1993	Amount of family pension	
At enhanced rate [rule 75(4)]		
At ordinary rate [rule 75(2)]		
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)		
Date from which family pension is admissible		
Head of account to which death gratuity and family pension are debitable		

Section II

Details of deceased railway servant											
Name						Date of death					
Amount of family pension authorised						Amount of gratuity authorised					
Date of commencement of family pension						Amount recoverable from gratuity					
Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable											
Amount of gratuity withheld pending receipt of 'No Demand Certificate'											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Place: Date: </div> <div> (Signature of Accounts Officer) </div> </div>											

8. After Form 20, the Form 21 shall be inserted, namely:-

“Form 21”

[See Rule 55(3)]

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined.....son of, a.....in the.....His age by his own statement is.....years, and by appearance about.....years. I/(We) consider to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs in consequence of.....(here state disease or cause)."

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made)

"I am/(We) are of the opinion that is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing, after resting for.....months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."

Place

Dated the.....

Medical Authority

Explanatory Memorandum:

Sub-rule (4A) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, *inter alia*, provide for payment of family pension to the family of a Railway servant who dies within ten years before 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years. It is certified that none shall be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note-1: The amendments in rule 55 and rule 75 shall be deemed to have come into force with effect from 4th January, 2019 and 1st October, 2019 respectively.

Note-2: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 930(E), dated the 3rd December, 1993 and was last amended *vide* G.S.R. 346(E), dated the 24th June, 2024.

(File No.D-5/2019-F(E)III)



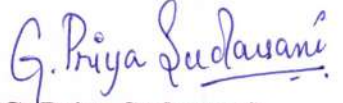
(Bandana Sharma)

Executive Director, Finance (Establishment),
Railway Board.

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy forwarded to the General Managers and PFAs, All Zonal Railways & Production Units/ RDSO etc. (As per the standard mailing list)

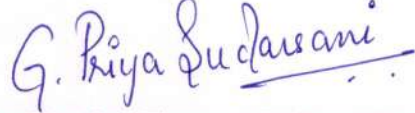

(G. Priya Sudarsani)
Director Finance(Estt.)
Railway Board

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy to:

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.


For Member Finance, Railway Board

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.

9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.



For Principal Executive Director (IR), Railway Board.

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy to:-

Adv. to MR, EDPG to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, PS to MoSR(D), EDPG to MoSR(D), PS to MoSR(J), EDPG to MoSR(J), DPG to MoSR(J).

PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/TRS.

DG/HR, DG/Safety, DG(RHS), DG(RPF).

All Addl. Members, PEDs, All EDs, JSs.

Pay & Accounts Officer, M/o Railways (Railway Board).

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy also to:-

1. The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISSET/Secunderabad.
2. The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL, Railtel and MDs, CRIS, IRWO.
3. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, New Delhi.
4. The Registrar, RCT/Delhi.
5. Chairmen of all RRBs.
6. The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256180
CG-DL-E-08082024-256180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 447]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 486(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 है।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 55 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:
“55. अशक्तता पेंशन – (1) रेल सेवक के दिव्यांग होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के खंड 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त खंड के उपबंधों द्वारा शासित होंगे:

परंतु यह कि ऐसा कर्मचारी एक दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(2) यदि कोई रेल सेवक, ऐसे मामले में, जहां उक्त अधिनियम के खंड 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, जो उसे सेवा के लिए स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे नियम 69 के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

परंतु यह कि रेल सेवक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है, के कारण दस वर्ष की अर्हक सेवा करने से पूर्व, सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियम 69 के उप-नियम (2) के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकेगी:-

(क) उसकी रेल सेवा में नियुक्ति से पहले अथवा नियुक्ति के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे रेल सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो; और

(ख) अशक्तता पेंशन दिए जाने वाले के लिए नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।

(3) जहां उप-नियम (2) में निर्दिष्ट, कोई रेल सेवक अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो उसे निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी से असमर्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-

(क) राजपत्रित रेल सेवक, और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिनका भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II (1987-संस्करण) के नियम 1303 में यथा-परिभाषित वेतन चौवन हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड द्वारा ;

(ख) अन्य मामलों में किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्तर का चिकित्सा अधिकारी।

टिप्पण 1: जबतक कि आवेदक यह दर्शाते हुए एक पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसके कार्यालय या विभाग के प्रमुख को आवेदक के चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के आशय की जानकारी है तथा चिकित्सा प्राधिकारी को कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा आवेदक की आयु के बारे में आधिकारिक अभिलेखों से स्पष्ट होने वाला एक विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि आवेदक के लिए सेवा पुस्तिका का रखरखाव किया जा रहा है तो उसमें अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए।

टिप्पण 2 : जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो तो एक महिला डॉक्टर को भी चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र इन नियमों के साथ अनुबद्ध प्ररूप 21 में यथा-निर्दिष्ट होगा।

(5) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम(2) में उल्लिखित किसी रेल सेवक को उसके द्वारा की जा रही सेवा से कम श्रम वाली आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया है तो ऐसे नियोजित होने की उसकी इच्छा के अध्यक्षीन, निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे नियम 69 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

3. उक्त नियमों में, नियम 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 69 के उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) नियम 55 के उप-नियम (2) के परंतुक के अध्यक्षीन, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के मामले में पेंशन की राशि की गणना वेतन के पचास प्रतिशत पर या औसत वेतन पर की जाएगी, इनमें से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, जो कि न्यूनतम नौ हजार रूपए प्रतिमाह और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह के अध्यक्षीन होगा।”

5. उक्त नियम में, नियम 75,-

(क) उप-नियम (4) में,-

(i) खंड (i) में, उप-खंड (क) में, “सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्”- शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, “सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्”- शब्दों को लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) कोई रेल सेवक, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी किए बिना हो गई हो, उसका परिवार उप-नियम (4) के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2019 से बढ़ी हुई दरों पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगा, जो कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन होगा।”;

6. उक्त नियम के नियम 94 में, विद्यमान खंडों के लिए, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) कुटुंब पेंशन, 1964 के प्रयोजन के लिए, यदि मृतक रेल सेवक का परिवार नियम 75 के उप-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया है और कुटुंब पेंशन की राशि और अवधि जिसके लिए यह देय है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर नियम (75) के उप-नियम (4) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए,-

(i) यदि मृतक रेल सेवक द्वारा की गई पूरी सेवा सत्यापित और स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है, तो मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार की गई अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर नियम 70 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अनंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अनंतिम आधार पर लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।

(ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि कार्यालय प्रमुख द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा सेवा की पूरी अवधि की स्वीकृति और सत्यापन पर निर्धारित की जाएगी और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष राशि, यदि कोई हो, लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।”

7. “प्ररूप 16” के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप 16”

[नियम 93(1), 95(1), 95(5) एवं 97(1) देखें]

किसी रेल कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के भुगतान का निर्धारण एवं प्राधिकृतीकरण

भाग-I

खंड I

1. मृतक का विवरण:

(क) नाम													
(ख) माता/पिता का नाम							(ग) जन्म तिथि						
(घ) मृत्यु की तारीख							(ङ) धर्म						

2. मृत्यु के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन	
(च) यदि अंतिम पद विदेश सेवा शर्तों पर सरकार के बाहर धारित किया गया था			
(छ) मूल विभाग में धारित पद का स्तर		(ज) मूल वेतन	
(झ) मिलिट्री सेवा की कुल अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए पेंशन एवं/या उपदान की मंजूरी दी गई थी			
(ञ) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की राशि		(ट) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति	
3. सेवा शुरू होने की तारीख		4. सेवा समाप्त होने की तारीख	

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा, यदि कोई हो

सेवा विवरण

(क) संस्था का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि
(घ) क्या सरकार द्वारा उपदान की गणना में उपरोक्त सेवा गण्य होगा			हां	नहीं
(ङ) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपनी पेंशन देयता का निर्वहन किया है			हां	नहीं

(च) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की राशि, यदि कोई हो	(छ) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि कोई हो
---	--

6. मृत्यु उपदान के लिए अर्हता प्राप्त सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियों का विवरण जिन्हें अनदेखा किया गया है [नियम 79 (1) (ख) (ii) के अधीन]			
(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधि	से	तक	दिनों की संख्या
नियम 42 और 43 के अधीन माफ की गयी सेवा में अवरोध की अवधि			
उपदान के लिए गैर अर्हक असाधारण अवकाश			
गैर अर्हक निलंबन की अवधि			
बालक सेवा (नियम 20 का द्वितीय परंतुक)			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन के लाभान्वित है (नियम 46)			
अन्य कोई गैर अर्हक सेवा			
गैर अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा के लिए परिवर्धन:	से	तक	दिनों की संख्या
सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33)			
मिलिट्री सेवा (नियम 34)			
एक स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ			
अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(ड) सम्पन्न छमाही (तीन महीने एवं उससे अधिक की अवधि को सम्पन्न छमाही के रूप माना जाएगा) के रूप में अभिव्यक्त अर्हक सेवा			
7. मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां		8. मृत्यु उपदान की राशि	

9. मृत्यु उपदान से वसूले जाने वाले सरकारी या रेलवे को देय राशि का विवरण:-

(क) सरकारी या रेलवे आवास के दखल के लिए लाइसेंस शुल्क	
(ख) संपदा निदेशालय/इंजीनियरींग विभाग द्वारा निर्देशानुसार रोकी जाने वाली राशि	
(ग) नियम 98 (2) में निर्दिष्ट बकाया राशि	
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में देय शुद्ध राशि	

10. नामांकित व्यक्ति (ओं) का विवरण जिन्हें मृत्यु उपदान देय है:

क्र. सं.	(क) नाम	(ख) जन्म तिथि (दिदि/मि/वववव)	(ग) मृत्यु उपदान में हिस्सा	(घ) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(ङ) पता
1.					
2.					
3.					

11. अभिभावक/नामांकित व्यक्ति का विवरण जो नाबालिग /मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में मृत्यु उपदान का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(घ) अभिभावक का पता

12. कुटुंब पेंशन के भुगतान का विवरण

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की राशि	वह अवधि जिसके लिए यह देय है			
		से	तक	कुल अवधि	
(क) बढी हुई दर [नियम 75(4)]					
(ख) साधारण दर [नियम 75(2)]					
(ग) नियम 75(3क) के अधीन वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी, यदि कोई हो, को आज की तारीख के अनुसार अतिरिक्त परिवारिक पेंशन, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है।					

13. वे व्यक्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन देय है:

(क) नाम		(ख) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	
(ग) डाक का पता			
फ्लैट/मकान सं/भवन का नाम		सड़क/इलाका	
गांव और डाकघर/ब्लॉक		शहर और जिला	
राज्य		पिन कोड	
टेलीफोन नंबर/मोबाइल		ईमेल आईडी	

14. अभिभावक का विवरण जो नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में कुटुंब पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(घ) अभिभावक का पता
1.				
2.				
3.				

लेखा-शीर्ष, जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं

स्थान:

तारीख:

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

खंड II

नियम 96 के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित की जाने वाली अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान का विवरण

अनंतिम कुटुंब पेंशन	रुपये प्रति माह
मृत्यु उपदान [धारा I के मद 9 (घ) में उल्लिखित राशि]	 रुपये प्रति माह

स्थान :

तारीख:

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

भाग II

खाता सम्मिलन

खंड I

मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की जाने वाली अर्हक सेवा की कुल अवधि	
कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकृत निरंतर सेवा की कुल अवधि	

सरकार और रेलवे की बकाया राशि के समायोजन के बाद मृत्यु उपदान की निवल राशि										
कुटुंब पेंशन की राशि (जो भी लागू हो)										
रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन	कुटुंब पेंशन की राशि									
बढ़ी हुई दर पर [नियम 75(4)]										
साधारण दर पर [नियम 75(2)]										
वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी, को आज की तारीख के अनुसार नियम 75(3क) के अंतर्गत अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई हो,										
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन स्वीकार्य है										
खाता प्रमुख जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं										

खंड II

मृतक रेलवे कर्मचारी का विवरण										
नाम						मृत्यु की तारीख				
अधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि						अधिकृत उपदान की राशि				
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख						उपदान से वसूली योग्य राशि				
खाता प्रमुख, जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं										
'नो डिमांड सर्टिफिकेट' की प्राप्ति लंबित होने तक रोकी गई उपदान की राशि										
स्थान: तारीख:										
(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)										

8. प्ररूप 20 के पश्चात्, प्ररूप 21 अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप 21”

[नियम 55(3) देखिये]

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्ररूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने में, के पुत्र की सावधानीपूर्वक जांच की है। उसकी आयु उसके बयान के अनुसार..... वर्ष और अनुमानित तौर पर..... वर्ष हैं। मैं/(हम) को (यहां रोग या कारण बताएं) के परिणामस्वरूप उस विभाग, जिससे वे संबंधित हैं, में किसी भी प्रकार की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अयोग्य मानते हैं।

(यदि अक्षमता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है, तो प्रमाण पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित को जोड़ दिया जाना चाहिए)

मेरा/हमारा यह विचार है कि महीने के आराम करने के पश्चात पहले जो सेवा वह कर रहा था उससे कम परिश्रमी प्रकृति की सेवा करने योग्य है एवं आगे भी योग्य रहेगा।

स्थान

तारीख.....

चिकित्सा प्राधिकरण

स्पष्टीकरण ज्ञापन:

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (4क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे रेल कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का उपबंध है जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बगैर मर जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण-1: नियम 55 और नियम 75 में संशोधन क्रमशः 4 जनवरी, 2019 और 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी माने जाएंगे।

टिप्पण-2: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 346 (अ) तारीख 24 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

[फा. सं. डी-5/2019-एफ(ई)III]

बन्दना शर्मा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना),

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

G.S.R. 486(E).— - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Second Amendment Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 55, the following rule shall be substituted, namely:-

“55. Invalid Pension.- (1) In the case of a railway servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) are applicable shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such employee shall submit a disability certificate which is issued from the competent authority as provided under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a railway servant, in a case where the provisions of section 20 of the said Act, are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 69:

Provided that a railway servant, who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service before completing qualifying service of ten years, may also be granted invalid pension in accordance with sub-rule (2) of rule 69, subject to the conditions that the railway servant,-

(a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the railway service and declared fit by such medical authority for railway service; and

(b) fulfills all other conditions mentioned in the rules for grant of invalid pension.

(3) Where a railway servant referred to in sub-rule (2), applies for an invalid pension, he shall be required to submit a medical certificate of incapacity from the following medical authority, namely:-

(a) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a Non-gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 of the Indian Railway Establishment Code Vol.II(1987-Edition), exceeds fifty-four thousand rupees per mensem;

(b) a Civil surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.

Note 1: No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Head of his Office or Department is aware of the intention of the applicant to appear before the medical authority and the medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or the Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant, and if a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported.

Note 2: A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.

(4) The Medical Certificate to be granted by the medical authority shall be such as specified in Form 21 annexed to these rules.

(5) Where the medical authority referred to in sub-rule (3) has declared a railway servant mentioned in sub-rule (2) fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, subject to his willingness to be so employed, be employed on a lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted invalid pension under rule 69;"

3. In the said rules, rules 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 69, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the proviso to sub-rule (2) of rule 55, in the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per mensem and maximum of one lakh twenty five thousand rupees per mensem;"

5. In the said rules, in rule 75,-

(a) in sub-rule (4), -

(i) in clause (i), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;

(ii) in clause (ii), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted.

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) A railway servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates, in accordance with sub-rule (4), with effect from the 1st day of October, 2019, subject to fulfillment of other conditions for grant of family pension ;"

6. In the said rules, in rule 94, for the existing clauses the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) for the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased railway servant has become eligible for family pension in accordance with the sub-rule (2) of rule 75, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (4) of rule 75 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the railway servant.

(b) for the purpose of death gratuity,-

(i) if the entire service rendered by the deceased railway servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 70 on

the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiary on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the railway servant.

(ii) the final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiary.”;

7. For “Form 16”, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form 16”

[See rules 93(1), 95(1), 95(5) and 97(1)]

Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies while in service

Part-I

Section I

1. Details of deceased:

(a) Name																			
(b) Mother's/Father's name										(c) Date of birth									
(d) Date of death										(e) Religion									

2. Post held at the time of death:

(a) Name of the office			
(b) Post held substantively		(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix		(e) Basic pay	
(f) In case the last post was held outside the Government on foreign service terms-			
(i) Level of pay of the post held in the parent department		(ii) Basic pay	
(i) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned			
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service		(k) Nature of any pension/gratuity received for the military service	
3. Date of beginning of service		4. Date of ending of service	

5. Service in autonomous body/State Government, if any

Particulars of service

(a) Name of organisation		(b) post held		(c) Period of service		
				From	To	Total period
(d) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Government						Yes No
(e) Whether the autonomous organisation has discharged its pensionary liability to the Railways						Yes No
(f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any				(g) Nature of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		

6. Service qualifying for death gratuity:

(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the service book which have been ignored [under rule 79 (1)(b)(ii)]			
(b)Periods of non-qualifying service:	From	To	No. of days
Interruption in service condoned under rules 42 and 43			
Extraordinary leave not qualifying for gratuity			
Period of suspension treated as non-qualifying			
Boy service (2 nd Proviso to Rule 20)			
Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (rule 46)			
Any other service not treated as qualifying service			
Total period of non-qualifying service			
(c) Additions to qualifying service:	From	To	Number of days
Civil (including railway) service (rule 33)			
Military service (rule 34)			
Benefit of service in an autonomous body			
Total period of qualifying service			
(d) Net qualifying service			
(e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period (rule 69)			
7. Emoluments reckoned for death gratuity		8. Amount of death gratuity	

9. Details of Government or railway dues recoverable out of death gratuity:-

(a) Licence fee for occupation of Government or railway accommodation	
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates/Engineering Department	
(c) Dues referred to in rule 98 (2)	
(d) Net amount payable as death gratuity	

10. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable:

S. No.	(a) Name	(b) Date of birth (DD/MM/YYYY)	(c) Share in death gratuity	(d) Relationship with deceased railway servant	(e) Address
1.					
2.					
3.					

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children

S.No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway servant	(d) Address of guardian

12. Details of payment of family pension

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable			
		From	To	Total period	
(a) Enhanced rate [rule 75(4)]					
(b) Ordinary rate [rule 75(2)]					
(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)					

13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name		(b) Relationship with the deceased railway servant	
(c) Postal address			
Flat/House Number/Building Name		Street/Locality	
Village and Post Office/Block		City and District	
State		Pin Code	
Telephone No./Mobile		Email-Id	

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/mentally disabled children

S. No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway Servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.				
Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable				
<div>Place:</div> <div>Date:</div> <div style="text-align: right;">(Signature of Head of office)</div>				

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 96

Provisional family pension	Rs.....pm
Death gratuity [amount mentioned in item 9(d) of Section I]	Rs.....
Place: Date: <div style="text-align: right;">(Signature of Head of office)</div>	

Part II

Account Enfacement

Section I

Total period of qualifying service accepted for death gratuity	
Total period of continuous service accepted for family pension	
Net amount of death gratuity after adjusting Government and railway dues	
Amount of family pension (Whichever is applicable)	
Family pension under Railway Services (Pension) Rules, 1993	Amount of family pension
At enhanced rate [rule 75(4)]	
At ordinary rate [rule 75(2)]	
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)	
Date from which family pension is admissible	
Head of account to which death gratuity and family pension are debitable	

Section II

Details of deceased railway servant											
Name		Date of death									
Amount of family pension authorised		Amount of gratuity authorised									
Date of commencement of family pension								Amount recoverable from gratuity			
Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable											
Amount of gratuity withheld pending receipt of 'No Demand Certificate'											
Place: Date: <div style="text-align: right;">(Signature of Accounts Officer)</div>											

8. After Form 20, the Form 21 shall be inserted, namely:-

“Form 21”

[See Rule 55(3)]

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined.....son of, a.....in the.....His age by his own statement is.....years, and by appearance about.....years. I/(We) consider to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs in consequence of.....(here state disease or cause).”

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made)

“I am/(We) are of the opinion that is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing, after resting for.....months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.”

Place

Dated the.....

Medical Authority

Explanatory Memorandum:

Sub-rule (4A) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, *inter alia*, provide for payment of family pension to the family of a Railway servant who dies within ten years before 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years. It is certified that none shall be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note-1: The amendments in rule 55 and rule 75 shall be deemed to have come into force with effect from 4th January, 2019 and 1st October, 2019 respectively.

Note-2: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 930(E), dated the 3rd December, 1993 and was last amended *vide* G.S.R. 346(E), dated the 24th June, 2024.

[F. No. D-5/2019-F(E)III]

BANDANA SHARMA, Executive Director, Finance (Establishment)